नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 173343

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 223

दिनांक 12.04.2019

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 102 पत्रावली संख्या 1–125546 दिनांक 1998-1999

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी, गाटा संख्या–642, मुबारकपुर (प्रबन्धनगर) निकट आई0आई0एम0 रोड, जिला–लखनऊ। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 3180 दिनांक 18-03-1999 को दिनांक 18-03-2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 10-04-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

[illegible]

<u>संशोधित स्मृति पत्र</u>

(1) संस्था का नाम : सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी।
(2) संस्था का पता : गाटा सं0 842 मुबारकपुर(प्रबन्धनगर) निकट–आई0आई0एम0 रोड जिला–लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष।
(4) <u>संस्था के उद्देश्य</u>

1–बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण प्रचार तथा प्रसार करना।

2–बौद्ध धर्म के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

3–बौद्ध धर्म के गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

4–बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक,नैतिक,आध्यात्मिक,शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना।

5–बौद्धिक विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार, संगोष्ठी एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

6–शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय,महाविद्यालय व टेक्निकल विद्यालय/महाविद्यालय खोलना व संचालन करना।

7–शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों,विकलांग विद्यालयों,अल्पसंख्यक विद्यालय,महिला विद्यालय, महाविद्यालय, कालेजों, डिग्री कालेज, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, यूनानी कालेज, नर्सिंग कालेज,होम्योपैथिक कालेज,आयुर्वेद कालेज,इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था शासन की अनुमति से करना।

8–समाज के बच्चे,आदिवासी,विकलांग एवं निराश्रित,अल्पसंख्यक बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा भोजन चिकित्सा एवं आवास की व्यवस्था करना।

9–समय–समय पर विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता,कवि सम्मेलन जागरूकता शिविर,उपभोक्ता जागरूकता शिविर,पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर स्वास्थ्य शिविर,नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर,नशाबन्दी सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

10–कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, तथा कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना व शिक्षा की व्यवस्था करना,तथा लोगों को इन्टरनेट, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें रोजगार दिलाने हेतु प्रभावी प्रयास करना।

11–महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, कढ़ाई,बुनाई, जरदोजी, शिल्पकला, हस्त शिल्प ललित कला,साहित्य,ब्यूटीशियन,संगीत नृत्य,थियेटर, मेंहदी, डान्स कम्पटीशन, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग (जरी), चिकन,कैन्डिल मेकिंग,प्रिंटिंग,स्क्रीन प्रिंटिंग,पेंटिंग,वाल पेंटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

12–समाज के निर्धन,निराश्रित,पिछड़े,अन्धे,मूक बधिर,कुष्ठ व विकलांगों महिलाओं,पुरुषों तथा बच्चों के लिये चिकित्सा,भोजन,वस्त्र,दवाईयां,छात्रवृत्ति एवं शासन द्वारा संचालित मिड डे मील की सुविधा एवं निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं विभिन्न संक्रामक रोगों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके उत्थान एवं विकास का हर सम्भव प्रयास करना।

13–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अल्पसंख्यकों,दलितों,पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

14–राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बन्धुत्व की भावना जागृत करना भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना। भारतीय महापुरुषों की जीवन दर्शन एवं विचारों का प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

सत्यप्रतिलिपि

15–समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, गंगा पुनर्जीवन विभाग, यूनीसेफ, यूनेस्को, सिफ्सा, बैंक इण्डिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउन्डेशन, नोराड, केयर, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, अल्पसंख्यक विभाग, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजना, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

16–प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप–शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

17–एड्स, कैन्सर, पोलियो, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मलेरिया आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

18–पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, गरीबी उन्मूलन, मलिन बस्ती विकास, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, बागवानी विकास, सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, आपदा प्रबन्धन, गौ पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, पशु–पक्षी(जीव–जन्तु) एवं संरक्षण एवं निःशुल्क पुनर्वास आदि कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

19–जन हितार्थ निःशुल्क धमार्थ-चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, विधवा आश्रम, व्यायामशाला, वृद्ध–आश्रम, शिशुपालनगृह, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, अतिथि गृह आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

20–दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

21–समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुरस्कार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।

22–ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।

23–नये युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

24–ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा लोगों को रोजगार परक शिक्षा देते हुये उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

25–शारीरिक रूप से अपंग, विकलांग, निर्धन वृद्ध एवं अस्वस्थ लोगों की हर सम्भव सहायता करना।

26–तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवं उनमें गरीब एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

27–अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों एवं बच्चियों को हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, कुरान आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था करना, तथा उन्हें उच्च शिक्षा एवं निःशुल्क तकनीकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना तथा उन्हें यथा सम्भव सहायता करना।

28–ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं सफाई एवं भू–जल प्रबंधन (वाटर रीचार्ज पर कार्य करना) कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों में तालाब, हैण्डपम्प, नाली, सम्पर्क मार्ग, स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

पुनीत मधुबाला Ritu

सहायक

29—खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0 प्र0 अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/कमीशन/ जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों,कुटीर उद्योगों,रेशम उद्योगों की स्थापना व प्रचार व प्रसार करना

30—महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों जैसे महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, महिला बाल शोषण, भ्रूण हत्या,घरेलू हिंसा,महिला वैश्या वृत्ति जैसी समाज में समस्त प्रकार की कुरीतियों को रोकने का हर सम्भव प्रयास करना तथा महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना।

31—ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को आई0ए0एस0,पी0सी0एस0 मेडिकल प्रवेश इन्जीनियरिंग, तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं जैसे बी0 बी0ए0, एम0बी0ए0,बैंकिंग,कोचिंग,एम0एस0सी0, एम0सी0ए0, एम0एस0सी0, बी0एस0,बी0एड0,बी0पी0एड0 एवं बी0टी0सी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, बी0एल0एल0एम0, मास कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन आदि चलाने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें संचालित करना।

32—जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा जड़ी बूटियों की खेती करने हेतु कृषकों को निशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना, तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु सर्वांगीण शोध एवं अनुसंधान कार्य, जैविक खेती का प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

33—भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप इण्डिया योजना के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, तथा भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन करना।

34—आयुर्वेदिक,होम्योपैथी,नेचुरोपैथी एवं एलोपैथिक के नर्सिंग,पैरामेडिकल,मेडिकल कालेज की स्थापना/खोलना शासन की पूर्व अनुमति से उनका संचालन करना।

35—आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सालय शासन की पूर्व अनुमति से खोलना एवं संचालन करना।

36—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।

37—पशुचिकित्सा सम्बन्धी अस्पताल,पैरामेडिकल कॉलेज, शासन की पूर्व अनुमति से खोलना व संचालित करना।

हस्ताक्षर

1— [signature]

2— Ritu

3— पुनीत

4— महावीर

सत्य प्रतिलिपि

सुभाष एजूकेशनल सोसाइटी

गाटा संख्या 642,मुबारकपुर(प्रबन्धनगर) निकट IIM रोड जिला लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष -2018-2019

क्र0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री पुनीत कटियार पुत्र श्री एस0एल0कटियार	एम0आई0जी0-3,बर्रा-4 जिला कानपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	रितु सिंह पुत्री राजवीर सिंह	11/181,विकास नगर लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह	701,चेल्सिया टावर,ओमेक्स हाईट विभूतिखण्ड,गोमतीनगर,जिला लखनऊ	प्रबन्धक/ महासचिव	समाजसेवा
4	श्री सुनील कुमार कटियार पुत्र जगदीश नारायण कटियार	एम0आई0जी0-6,बर्रा-4,कानपुर नगर	उपप्रबन्धक/ उपमहासचिव	समाजसेवा
5	श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री रामपाल	ग्राम व पोस्ट-मौसगंज हरदोई	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	रुची कटियार पुत्री श्री अशोक कटियार	537 क0/0013,ए0 भारत नगर लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मंगल	534/8471,छोटा बरहा आलमबाग जिला-लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर

1- [signature]

2- [signature]

3- पुनीत

4- महावीर

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम = [illegible] एजूकेशनल सोसाइटी।
(2) संस्था का पता = प्लाट नं0 842 [illegible] (विकासनगर) निकट HM लखनऊ जिला-लखनऊ।
(3) संस्था का कार्य क्षेत्र: सम्पूर्ण भारतवर्ष
(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता :

कोई भी भारतीय नागरिक जो रचनात्मक कार्यों में समर्पित हो संस्था की नियमों में विश्वास रखता हो की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एक लिखित प्रार्थना पत्र देने के पश्चात अध्यक्ष/महासचिव की अनुमति से सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 10001(रूपया दस हजार एक) नगद या इतने ही मूल्य का चल या अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा परन्तु उक्त व्यक्ति के नाम का अनुमोदन अध्यक्ष/महासचिव द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात प्रबन्धकारिणी समिति से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही आजीवन सदस्य की मान्यता मिलेगी।

सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखने के साथ रू0 101/-(एक सौ एक रूपये) मासिक सदस्यता शुल्क देगें वे संस्था के सामान्य सदस्य होगें। सामान्य सदस्य 20 वर्ष निरन्तर संस्था के [illegible] सामान्य सदस्य बनाये जायेगें परन्तु अध्यक्ष/महासचिव का पूर्व अनुमोदन व प्रबन्धकारिणी समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति:

1-मृत्यु हो जाने पर।
2-पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत हानिकार कार्य करने पर।
4-अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5-निर्धारित समय से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6-लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7-नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(6) संस्था के अंग:

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा ::

गठन :

संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें:

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सन्देशवाहक द्वारा 07 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

पुनीत

महावीर

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]
सहायक रजिस्ट्रार [illegible]
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

गणपूर्ति :

साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, स्थगित बैठकों के लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

संस्था का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3–संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4–संस्था की नीतियों का निर्धारण करना।
5–संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।
6–आजीवन/साधारण सदस्यों के निष्कासन/अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन :

साधारण सभा द्वारा आजीवन सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा आजीवन सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में साधारण सभा के वरिष्ठतम सदस्यों (सदस्यता वर्ष के अनुसार) में से प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, प्रबन्धक/महासचिव–एक, उपप्रबन्धक/उप सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक तथा अन्य दो सदस्य होंगे इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी जो आवश्यकतानुसार प्रबन्धक/महासचिव की आज्ञानुसार अधिकतम 12 तक की जा सकती है।

बैठकें :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 03 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

1–संस्था की सम्पत्ति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3–संस्था का कार्य प्रबन्ध कार्य प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा होगा।
4–संस्था द्वारा सुभाष महाविद्यालय की शाखाएं खोलना व उनका पूर्ण संचालन करना।

पुनीत

महावीर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ
07.02.18

6- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, सी.पी.सार्ट, [illegible] इण्डिया एवं समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य वित्तीय बोर्डों से दान अनुदान प्राप्त करना।

7- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, [illegible] व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडबी, [illegible] आदि से दान अनुदान, ऋण, चन्दा आदि प्राप्त करना एवं संस्था की सम्पत्तियों को गारन्टी, गिरवी व बन्धक रखना।

8- संस्था द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय, [illegible] महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

<u>कार्यकाल :</u>

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

<u>अध्यक्ष :</u>

1- समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2- बैठकों के लिए तिथियों का अनुमोदन करना, स्वीकृति करना और बैठकों को स्थगित करना।
3- समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

<u>उपाध्यक्ष</u>

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना व उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

<u>प्रबन्धक/महासचिव</u>

1- संस्था के कार्यों को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2- कर्मचारियों, अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन आदि करना।
3- सदस्यों के आवेदन पत्र पर विचार करना एवं अनुमोदन देना।
4- चेकों एवं बिलों पर हस्ताक्षर करना।
5- बिल वाउचर, चेक, आवरण पत्र, [illegible] नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
6- संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।
7- पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
8- संस्था के ऑडिट की व्यवस्था करना।
9- राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से दान अनुदान प्राप्त करना।
10- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
11- बैठक में उचित व्यवस्था बनाये रखना।
12- सदस्यों व पदाधिकारियों को बैठकों की सूचना देना।
13- पिछली कार्यवाही बैठक में पढ़कर सुनाना व लिपिबद्ध करना।
14- समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
15- वार्षिक बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
16- साधारण/आजीवन सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निष्कासन प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
कार्यालय [illegible]
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]

-4-

उपप्रबन्धक/उपसचिव

प्रबन्धक/महासचिव की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना व उनके कार्यों में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष :

1–आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

2–प्रबन्धक/महासचिव की अनुमति से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर यथाविधि रसीद देना तथा पूर्ण ब्योरा प्रबन्धक/महासचिव को देना।

3–प्रबन्धक/महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों से करना।

(11) संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक/महासचिव या उनके द्वारा अधिकृत उपाध्यक्ष द्वारा आहरित किया जायेगा।

(12) संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाले या विरुद्ध के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/महासचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(14) संस्था के अभिलेख :

1–सदस्यता रजिस्टर

2–कार्यवाही रजिस्टर

3–स्टाक रजिस्टर

4–कैश बुक आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर

1– [signature]

2– पुनीत

3– Ritu

4– महावीर

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

[illegible] मण्डल, [illegible]

07-8-2016